

न्यायालय अपर कलक्टर, नागौर

बडजलास - श्री मनोज कुमार, आर0ए0एस0

राजस्व अपील संख्या 120/2019

| अपीलान्त | बनाम | रेस्पोडेन्ट |
|--|------|---|
| सुरेश पुत्र चुन्नीलाल जाति महाजन निवासी बुटाटी तहसील डेगाना जिला नागौर। | | राजस्थान राज्य जरिये उप तहसीलदार सांजू जिला नागौर। |

उपस्थिति :-

1. श्री मुरलीधर जोशी अधिवक्ता अपीलान्त की ओर से।
2. श्री कुन्दनसिंह आचीणा राजकीय अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट की ओर से।

निर्णय

दिनांक: 19.02.20

{1}-मामलें के संक्षिप्त मे तथ्य इस प्रकार है कि अपीलान्त ने यह अपील धारा 75 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 के तहत उप तहसीलदार, सांजू द्वारा धारा 91 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत प्रकरण संख्या 14/2018 सरकार बनाम सुरेश में निर्णय दिनांक 23.02.18 के तहत मौजा बुटाटी के खसरा नं. 253 व 122 गै.मु. गोचर भूमि से बेदखली व शास्ति से असंतुष्ट होकर दिनांक 04.11.19 को प्रस्तुत की गई है। अपीलान्त की अपील दिनांक 22.11.19 को मियाद के बिन्दु पर दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट को जरिये सम्मन सुनवाई हेतु तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड मंगवाया गया। अपीलान्त द्वारा अपनी अपील के समर्थन में उप तहसीलदार सांजू द्वारा जारी नोटिस दिनांक 21.8.19 की फोटोप्रति पेश की। रेस्पोडेन्ट की ओर से श्री कुन्दनसिंह आचीणा राजकीय वकील उपस्थित हुए।

{2}-उभयपक्ष के वकूलाय की बहस सुनी गई। अपीलान्त के विद्वान अभिभाषक द्वारा मियाद के बिंदु पर बताया गया कि तत्कालीन ग्राम बुटाटी तहसील डेगाना के विवादग्रस्त खसरा सं. 253 व 121 रकबा 0.0200 हैक्ट. के उप तहसीलदार सांजू के मुकदमा सं. 14/18 के संबंध में आदेश दिनांक 23.2.18 के विरुद्ध उप तहसीलदार सांजू के आदेश पारित किया गया है। उसे निरस्त करवाने हेतु प्रार्थी द्वारा एक अपील न्यायालय हाजा में प्रस्तुत की गई। उपतहसीलदार सांजू द्वारा प्रार्थी के विरुद्ध दिये गये फैसले की जानकारी एवं कानूनी ज्ञान के अभाव में प्रार्थी द्वारा अपील मियाद अवधि के दौरान प्रस्तुत नहीं की जा सकी। फैसले के संबंध में जानकारी प्रार्थी को उप तहसीलदार सांजू के क्रमांक / राजस्व / 2019 / 223-283 दिनांक 21.8.19 प्राप्त होने पर आयी। ग्राम पंचायत बुटाटी द्वारा ग्राम सभा में खसरा सं. 253 व 121 में स्थित भूमि के एवज में अन्यत्र भूमि समर्पण एवं उचित जुर्माना राशि का भुगतान करके इस भूमि का आबादी में संपरिवर्तन का प्रस्ताव सं. 1 दिनांक 5.5.15 के पारित किये जाने से आश्वस्त था। जिस कारण अन्य कोई कार्यवाही नहीं की। फिर भी अपील अंदर मियाद प्रस्तुत है। फिर भी अपील प्रस्तुत करने में जो देरी हुई है, वह सद्भाविक देरी है, जिसे माफ करते हुए अपील को अंदर मियाद शुमार किया जाना न्यायहित में आवश्यक है। जिसका राजकीय वकील द्वारा विरोध नहीं किया गया है। अतः मियाद के बिन्दु पर नरम रूख अपनाते हुए अपीलान्त की अपील अंदर मियाद शुमार की जाती है। वकील अपीलान्त ने आगे अपनी अपील के तथ्यों को दोहराते हुए तर्क दिया कि-

{2}(I)-उप तहसीलदार सांजू के द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश प्राकृतिक न्याय के सुस्थापित सिद्धान्तों के विपरीत होने से अपास्त किये जाने योग्य है।

{2}(II)-उक्त वादग्रस्त कब्जा स्थल पर अपीलार्थी का पुरानी कच्ची दुकान आयी हुई है जिस पर अपीलार्थी लंबे समय से जीवन निर्वाह कर रहा है। अपीलार्थी का उक्त कच्ची दुकान खसरा नं. 253 एवं 121 में 10 वर्षों से अधिक समय से कब्जा चल रहा है, पूर्व में अपीलार्थी के पिता उक्त वादग्रस्त स्थल पर कच्ची दुकान कर जीवन निर्वाह कर रहे हैं। तत्पश्चात उक्त भूमि पर कच्ची दुकान का निर्माण करवाया

Page 1 of 2




अपर कलक्टर, नागौर

गया। अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा उक्त तथ्यों को विधिक ढंग से अवलोकन किये बगैर ही अपीलाधीन निर्णय पारित किया है, जो अपास्त किये जाने योग्य है।

[2](III)—वादग्रस्त भूमि जिस पर अपीलार्थी का अतिक्रमण माना गया है वह भूमि ग्राम बुटाटी की आबादी भूमि के बिल्कुल सीमा पर ही स्थित है। पूर्व में अपीलार्थी द्वारा यह जमीन ग्राम ठाकुर की पुश्तनी जमीन समझ का उनसे रोजगार हेतु खरीदी, जिससे अपीलार्थी अपने परिवार का जीवन बसर कर सके। तत्पश्चात इस संबंध में किसी राजस्व कर्मचारी द्वारा आज दिन तक कोई आपत्ति नहीं की गई थी तथा किसी प्रकार की आपत्ति नहीं किये जाने पर अपीलार्थी के द्वारा वादग्रस्त स्थल पर कच्ची दुकान संचालित की जा रही है। यह दुकान अपीलार्थी का एक मात्र जीवन निर्वाह का साधन है।

[2](IV)—अपीलार्थी ग्राम बुटाटी का मूल निवासी है तथा यहाँ चतुरदास जी महाराज का प्रसिद्ध मंदिर है जो हजारों लोगों की आस्था का केन्द्र है। अपीलार्थी द्वारा मंदिर के सामने घास फूस की कच्ची दुकान का निर्माण कर अपना जीवन यापन के लिये एवं श्रद्धालुओं की सेवा के लिये चाय नाश्ता एवं अन्य फुटकर सामान बेच कर गुजर बसर कर रहा है।

[2](V)—अपीलार्थी एक सामान्य कामगार के समकक्ष व्यक्ति है। जो विश्वास एवं मान्यता के कारण इस भूमि को विवादग्रस्त न समझकर खरीदी एवं अपीलार्थी कानूनी जानकारी भी नहीं रखता है।

[2](VI)—अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा अपीलार्थी को अपने साक्ष्य सबूत व जवाब प्रस्तुत करने का उचित अवसर प्रदान किये बगैर ही एकतरफा मानस कर उक्त अपीलाधीन निर्णय पारित किया गया है, इस आधार पर अपीलाधीन निर्णय अपास्त किये जाने योग्य है।

[2](VII)—अपीलांट का आराजी भूमि पर पिछले 20 वर्षों से कब्जा है तथा कच्ची दुकान में रोजमर्रा का सामान बेचकर गुजर बसर कर रहा है। जहां सौर ऊर्जा कनेक्शन भी ले रखा है। अपीलांट के कब्जासुद जमीन अन्य पक्षकार ग्राम ठाकुर अमरसिंह से स्टाम्प लिखा पढी करके खरीदा है तथा कब्जा स्थल पर संचालित दुकान विश्वविख्यात श्री चतुरदास जी महाराज के मंदिर के सामने जो आने वाले हजारों श्रद्धालुओं की सुविधापूर्ण करने के लिये है तथा आराजी गोचर भूमि जहां दुकान है। उसका प्रतिवर्ष ग्राम पंचायत बुटाटी द्वारा किराया रसीद कटवाता आया है। अपीलांट के अलावा भी लगभग 200 परिवारों द्वारा गोचर भूमि पर पक्का निर्माण किया हुआ है। अपीलांट इस कब्जे से जल संग्रहण या आम रास्ते पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। न ही आमजन, मंदिर समिति या दर्शनार्थी को किसी प्रकार की परेशानी है। अपीलांट सरकार को उचित शुल्क या गोचर हेतु इसी ग्राम में अन्यत्र क्षतिपूर्ति के लिये जमीन देने हेतु तैयार है। इसलिये कब्जे को नियमित किया जाना चाहिये।

[3]—राजकीय अभिभाषक द्वारा बहस के दौरान बताया गया कि अपीलांट द्वारा मौजा बुटाटी में स्थित गै.मु. गोचर भूमि पर अतिक्रमण किये जाने पर विधिवत प्रकरण दर्ज कर अपीलांट को नोटिस जारी किया गया। अपीलाधीन आदेश में अपीलांट को अतिक्रमी माना जाकर निर्णय जैर अपील पारित किया गया है, जो सही एवं उचित होने से यथावत कायम रखा जाना चाहिये।

[4]— उभयपक्ष के वकूलाय की बहस पर मनन किया गया। पटवारी हल्का की अतिक्रमण रिपोर्ट में आराजी भूमि वाके बुटाटी के खसरा नंबर 253 व 122 गै.मु. गोचर भूमि पर अपीलांट का अतिक्रमण किया जाना अभिलेख से पाया गया। आदेश जैर अपील पारित करने से पूर्व अपीलान्ट को विधिवत नोटिस दिया गया है। अपीलांट का अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित होना अभिलेख से साबित भी है। आराजी भूमि की किस्म गै.मु. गोचर है। जो सार्वजनिक उपयोग की भूमि है। इस प्रकार की भूमियों का आवंटन/नियमन प्रतिबंधित भी है। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश विधि सम्मत होने से इसमें कोई हस्तक्षेप किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है।

[5]— उपरोक्त विवेचनात्मक विवेचन के आधार पर अपीलांट की अपील खारिज की जाती है। आदेश जैर अपील कायम रखा जाता है।

[6]— निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।



(मनोज कुमार)
अपर कलक्टर, नैनीताल
नागौर